

वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ [वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास \(IDWH\)](#) की [केंद्र प्रायोजित योजना](#) को [15वें वित्त आयोग \(वर्ष 2021-2026\)](#) के लिये बढ़ा दिया गया है।

IDWH के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परिचय:** इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में वन्यजीव पर्यावासों के **संरक्षण एवं प्रबंधन में वृद्धि** करना शामिल है।
 - इसमें **पर्यावास पुनर्स्थापन, संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी एवं मानव-वन्यजीव संघर्षों** के समाधान जैसी विभिन्न गतिविधियाँ भी शामिल हैं।
- **योजना के घटक :**
 - **संरक्षित क्षेत्रों** (राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रजिस्टर और सामुदायिक रजिस्टर) को समर्थन।
 - **संरक्षित क्षेत्रों के बाहर** वन्यजीवों का संरक्षण।
 - **गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियाँ** तथा उनके पर्यावासों को बचाने के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम।
- **IDWH के उपघटक:**
 - **प्रोजेक्ट टाइगर:** इसे भारत में वर्ष 1973 में शुरू किया गया था जिसका प्राथमिक उद्देश्य बाघों की आबादी को उनके प्राकृतिक पर्यावासों में **संरक्षित करना और वलुप्त होने से बचाना** था।
 - **प्रोजेक्ट एलीफेंट :** इसे वर्ष 1992 में हाथियों की पर्यावासों में हो रही कमी तथा अवैध शिकार के कारण हो रही गरिवट को रोकने के लिये शुरू किया गया था।
 - **वन्यजीव पर्यावास का विकास:** जैवविविधता और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये, यह पर्यावासों के विकास एवं सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है।
 - **प्रोजेक्ट डॉल्फिन** और **प्रोजेक्ट लायन** इसके उपघटक के अंतर्गत हैं।
- **कीस्टोन प्रजातियों का संरक्षण:** यह योजना **कीस्टोन प्रजातियों** जैसे **बाघ, हाथी, चीता** तथा **शेरों** के संरक्षण पर केंद्रित है, जो पारस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के संकेतक हैं।
 - यह **वन्यजीव पर्यावास घटक के विकास** के अंतर्गत **प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम** के तहत पहचानी गई कम-ज्ञात प्रजातियों का भी समर्थन करता है।
 - गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों/पारस्थितिकी तंत्रों को बचाने के लिये **16 स्थलीय और 6 जलीय प्रजातियों की पहचान** की गई है।

IUCN स्थिति	प्रजातियाँ
गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)	ग्रेट इंडियन बस्टरड, हंगुल, जेरडॉन्स कॉर्सर, मालाबार सविट, नॉर्दर्न रविर टैरापिन
संकटग्रस्त (Endangered)	एशियाई जंगली भैंसा, ब्रो एंटलर्ड हरिण (संगई), गंगा नदी डॉल्फिन, नीलगरि तहर, अरब सागर हंपबैक व्हेल, रेड पांडा
सुभेद्य (Vulnerable)	एशियाई शेर, डुगोंग, भारतीय गैंडा या एक सींग वाला गैंडा, निकोबार मेगापोड, हमि तेंदुआ, दलदली हरिण, क्लाउडेड तेंदुआ
निकट संकटग्रस्त (Near Threatened)	कैराकल (वशिव स्तर पर: सबसे कम चिंतीय)
कम चिंतीय (Least Concern)	एडबिल नेस्ट स्वफिटलेट

- **लाभान्वति क्षेत्र:** इस योजना के लाभ में **718 संरक्षित क्षेत्र** और उनके संबंधित प्रभाव क्षेत्र, **33 हाथी रजिस्टर** एवं **55 बाघ रजिस्टर** शामिल हैं।
- **तकनीकी हस्तक्षेप:**

- बाघों को देखे जाने, गतिविधियों और अन्य संबंधित विषयों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिये प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा **M-Stripes** (बाघों की गहन सुरक्षा और पारस्थितिकी स्थिति के लिये नगिरानी प्रणाली) मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जाता है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI): अखिल भारतीय **बाघ आकलन प्रक्रिया** में प्रजातियों के स्तर की पहचान के लिये AI का उपयोग शामिल है।
- संरक्षण आनुवंशिकी अनुप्रयोग : बाघों की आनुवंशिकी संरचना के आधार पर उनके **स्थानांतरण** के लिये एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है।
 - कम घनत्व वाले क्षेत्रों में बाघों की आबादी का आकलन करने और उनकी खाद्य पारस्थितिकी का विश्लेषण करने के लिये आनुवंशिकी का भी उपयोग किया जाता है।
- **वशिष्ट पशुओं पर ध्यान केंद्रित करना:**
 - **प्रोजेक्ट डॉल्फिन:** डॉल्फिन परियोजना के अंतर्गत डॉल्फिन और उनके पर्यावासों की गणना करने के लिये **नक्षत्रिय ध्वनिकी नगिरानी उपकरणों** और **दूर से संचालित वाहनों (ROV)** की सहायता से संचालित किया जाएगा।
 - **प्रोजेक्ट लायन:** प्रोजेक्ट लायन को **“लायन@2047: अमृत काल के लिये एक वजिन”** के दृष्टिकोण से सुदृढ़ किया जाएगा, जिसका उद्देश्य शेरों के साथ-साथ उनके पारस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक संरक्षण को बढ़ावा देना है।
 - **प्रोजेक्ट चीता :** प्रोजेक्ट टाइगर घटक भारत में महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता का भी समर्थन करता है। चीता कार्य योजना के अनुसार चीतों को लाने के लिये क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा।
- **आजीविका सृजन:** यदि कार्यक्रम जारी रखा जाता है, तो यह अनुमान है कि संरक्षण पर्यासों में प्रत्यक्ष भागीदारी से 50 लाख से अधिक मानव-दिवस रोजगार सृजित होंगे।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????????

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. "संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास" की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम, 2006 में समाविष्ट है।
2. भारत में पहली बार बैगा (जनजाति) को पर्यावास का अधिकार दिया गया है।
3. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिये पर्यावास अधिकार पर अधिकारिक रूप से नरिणय लेता है तथा इसकी घोषणा करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)